पत्रांक–7/मलेरिया–22–01/2018 95(7)अ

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.

सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संबंधित जिला पदाधिकारी,

संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : 26-02-19

विषय :स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210061010003 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹68,01,853/– (अड़सठ लाख एक हजार आठ सौ तिरपन रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–9(7)ब दिनांक–07.06.18, 50(7)ब दिनांक–11.10.18, 65(7)ब दिनांक–05.12.18 एवं 86(7)ब दिनांक–25.01.19 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹68,01,853/– (अड़सठ लाख एक हजार आठ सौ तिरपन रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य– 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड–20–2210061010003 के अन्तर्गत आय–व्ययक आयोजना भिन्न में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबन्धित राशि से किया जायेगा ।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे । प्राथमिक इकाई मजदूरी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे ।

5. डी0डी0टी0 छिड़काव का सधन अनुश्रवण / पर्यवेक्षण संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। दवा छिड़काव का व्यापक प्रचार प्रसार होने के पश्चात निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करेंगे कि छिड़काव जिला परिषद् / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत की देखरेख में किया जाय ।

6. किराये के मकान में संचालित जिला मलेरिया कार्यालयों के किराये का भुगतान करने के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित जिला मलेरिया कार्यालय का किराया सरकार से स्वीकृत है। सरकार से किराया स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में मकान किराये का भुगतान नहीं किया जाय एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संगत कागजातों के साथ भेजी जाय।

7. सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यरत पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. विवरणी–।। में कार्यालय व्यय इकाई में आवंटित राशि डी.डी.टी. के लिए रेलवे भाड़ा परिवहन एवं भंडारण हेतु कैमूर/गया को संलग्न सूची के अनुसार आवंटन दिया जा रहा है, जिसकी निकासी संबंधित जिला पदाधिकारी ही मजदूरी इकाई की तरह पूर्व प्रचलित व्यवस्थानुसार करेंगे एवं राशि का व्यय इसी विनिदिष्ट कार्य के लिए सुनिश्चित करेंगे ।

10. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अंवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

11. आवंटित राशि से किए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

14. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 95(7)0 पटना, दिनांक : 26-02-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला मलेरिया पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी—I

वित्तीय वर्ष 2018—2019 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01—01)	जीवन यापन भत्ता (01—03)	मकान भत्ता (01—04)	परिवहन भत्ता (01—05)	चिकित्सा भत्ता (01—06)	अन्य भत्ता (01—07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (11—01)	यात्रा व्यय (11—01)	वर्दी / पोषाक (13—06)	किराया महशूल एवं कर (14—01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मुख्य मलेरिया कार्यालय,पटना	1460000	219000	584000	102000	17500	17500	2400000	39215	70000	10000	0	2519215	167/9.2.19
2	क्षेत्रीय मलेरिया पदा0 दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	90000	4/4.2.19
3	अपर मु0 चि0 पदा0 भोजपुर	700000	70000	406000	0	13190	8400	1197590	0	0	0	0	1197590	79/31.1.19
4	अपर मु0 चि0 पदा0 भागलपुर	600000	60000	324000	0	7200	8800	1000000	0	0	0	0	1000000	61/1.2.19
5	अपर मु0 चि0 पदा0, कटिहार	94000	9400	13600	0	1398	1000	119398	0	0	0	0	119398	97/6.2.19
6	अपर मु0 चि0 पदा0, पूर्णिया	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	25650	75650	83/8.2.19
	कुल	**2854000**	**358400**	**1327600**	**102000**	**39288**	**35700**	**4716988**	**39215**	**210000**	**10000**	**25650**	**5001853**	

(पच्चास लाख एक हजार आठ सौ तिरपन) रू0 मात्र

95(7)9
26-02-19

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी– II

व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210061010003 अन्तर्गत **उल्लेखित** प्राथमिक इकाईयों में कैमूर/जमुई जिले का वित्तीय वर्ष 2018–19 में अतिरिक्त आवंटन

क्रमांक	जिला का नाम	मजदूरी (02–01)	कुल आवंटित राशि
1	कैमूर	300000	300000
2	जमुई	1500000	1500000
	कुल योग :–	**1800000**	**1800000**

(अट्ठारह लाख) रूपये मात्र

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी– III

विवरणीवार व्यय की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	विवरणी– I	विवरणी– II	कुल
1	2	3	4	5
1	वेतन (01–01)	2854000	0	2854000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	358400	0	358400
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	1327600	0	1327600
4	परिवहन भत्ता (01–05)	102000	0	102000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	39288	0	39288
6	अन्य भत्ता (01–07)	35700	0	35700
	योग वेतन एवं भत्ते:–	**4716988**	**0**	**4716988**
7	मजदूरी (02–01)	0	1800000	1800000
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003–06–01)	39215	0	39215
9	यात्रा व्यय (11–01)	210000	0	210000
10	कार्यालय व्यय (13–01)	0	0	0
11	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (13–02)	0	0	0
12	दूरभाष (13–03)	0	0	0
13	विद्युत प्रभार (13–04)	0	0	0
14	विधि प्रभार (13–05)	0	0	0
15	वर्दी/ पोषाक (13–06)	10000	0	10000
16	किराया महसूल एवं कर (0003–14–01)	25650	0	25650
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	0	0	0
18	दवा भण्डार (21–02)	0	0	0
	कुल योग:–	**5001853**	**1800000**	**6801853**

(अड़सठ लाख एक हजार आठ सौ तिरपन) रू0 मात्र

95(7)9
26-02-19

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0003–01–01)	243000000	226370000	2854000	229224000	13776000
2	जीवन यापन भत्ता (0003–01–03)	27000000	22637000	358400	22995400	4004600
3	मकान किराया भत्ता (0003–01–04)	53303000	27174000	1327600	28501600	24801400
4	परिवहन भत्ता (0003–01–05)	423000	293080	102000	395080	27920
5	चिकित्सा भत्ता (0003–01–06)	8460000	2716440	39288	2755728	5704272
6	अन्य भत्ता (0003–01–07)	6663000	2716440	35700	2752140	3910860
	योग 20-2210.06.101.0003.01 वेतन	**338849000**	**281906960**	**4716988**	**286623948**	**52225052**
7	मजदूरी (0003–02–01)	10000000	7150000	1800000	8950000	1050000
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003–06–01)	500000	447016	39215	486231	13769
9	यात्रा व्यय (0003–11–01)	1000000	465000	210000	675000	325000
10	कार्यालय व्यय (0003–13–01)	600000	600000	0	600000	0
11	वाहन का ईधन एवं रख रखाव (0003–13–02)	200000	135000	0	135000	65000
12	दूरभाष (0003–13–03)	100000	91250	0	91250	8750
13	विद्युत प्रभार (0003–13–04)	500000	500000	0	500000	0
14	विधि प्रभार (0003–13–05)	100000	100000	0	100000	0
15	वर्दी / पोषाक (0003–13–06)	306000	205000	10000	215000	91000
16	किराया महसूल एवं कर (0003–14–01)	500000	395000	25650	420650	79350
17	प्रशिक्षण व्यय (0003–20–03)	2500000	0	0	0	2500000
18	सामग्री एवं पूर्तियॉ (0003–21–01)	100000	100000	0	100000	0
19	दवा भण्डार (0003–21–02)	800000	40000	0	40000	760000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0003–27–02)	1000	0	0	0	1000
21	मशीने एवं उपस्कर (0003–52–01)	1000000	0	0	0	1000000
	कुल योगः–	**357056000**	**292135226**	**6801853**	**298937079**	**58118921**

95(7)a
26-02-19

सरकार के विशेष सचिव